(2)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP95954069982965U
Certificate Issued Date	: 15-Sep-2022 10:45 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14398404/ SANDILA/ UP-HRD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14398404845226114403390
Purchased by	: NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION TRUST
Description of Document	: Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	: PARIVARTIT DEED
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION TRUST
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,190 (One Thousand One Hundred And Ninety only)

Locked
S. R.
Sandila

Please write or type below this line

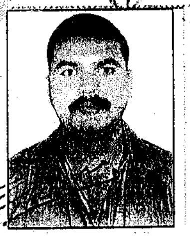

विदित हो कि नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट डीड **उप-निबन्धक कार्यालय**, सण्डीला, जिला हरदोई में दिनांक 03.11.2018 को रजिस्ट्रीकृत करायी गयी थी, जो बही सं0 4 जिल्द सं0 26 के पृष्ठ 253 से 296 के क्रमांक-रजिस्ट्रेशन सं0 29 पर पंजीकृत है, जो परिवर्तित-संशोधित कर प्रस्तुत की जा रही है, जिसे दि0 03.11.2018 को रजिस्टर्ड डीड का भाग माना जाये तथा यही संशोधित डीड ही मान्य होगी। **(रजिस्ट्रेशन संख्या : IV-29/18 दिनांक 03.11.2018)**

अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी — सचिव — कोषाध्यक्ष — सदस्य — सदस्य

0004844274

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

ट्रस्ट/न्यास डीड (दस्तावेज)

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट (एन0डी0एफ0टी0)

मैं राशिद अली वारसी पुत्र स्व0 वाहिद अली, निवासी– ग्राम–तिलोइयां खुर्द, पोस्ट–सांक, तहसील–सण्डीला, जिला–हरदोई–241204 (उ0प्र0) एक मानव प्रेमी होने के नाते व जन कल्याणकारी एंव समाज सेवा करने की भावना से प्रेरित होकर एक चेरिटेबल ट्रस्ट के निर्माण/स्थापना की घोषणा करता हूँ।

ट्रस्ट स्थापना विवरण

1: इस न्यास/ट्रस्ट डीड दस्तावेज को **नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट (एन0डी0एफ0टी0)** के नाम से जाना जायेगा। यह न्यास/ट्रस्ट के विभिन्न उद्देश्यों जैसे भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि लाना, महिला सशक्तीकरण, गरीबी–उन्मूलन, विज्ञान, कृषि विकास, आधारिक संरचना, भूमि सुधार, जल संरक्षण, आजीविका विकास, विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, हस्तकला, हस्तशिल्प के विकास, वृद्धजनों के कल्याण हेतु कार्य करना, ग्राम विकास कार्यक्रम, साहित्य एवं पर्यावरण आदि है।

2: ट्रस्ट/न्यास की विधि प्रतिबद्धता:

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। इस ट्रस्ट/न्यास पर भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो इस ट्रस्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। **नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट** उसके अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

न्यास/ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि **रूपया 11,000/– (रूपया ग्यारह हजार मात्र) से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है** इसके अलावा ट्रस्ट की अपनी कोई चल–अचल सम्पत्ति वर्तमान में नहीं है, तथा साथ ही आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान अनुदान, चाहे कृषि या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा तथा उसका उपयोग लोक कल्याणकारी, मानव भलाई, शिक्षा, सांस्कृति, स्वस्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आजीविका विकास, आधारिक संरचना एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। प्राप्त दान, अनुदान, धनराशि, न्यास/ट्रस्ट को प्राप्त है या प्राप्त होगी उसका उल्लेख सम्बन्धित रजिस्ट्रर में अंकित होगा तथा बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा।।

संस्थापक/अध्यक्ष यह न्यास **नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट** के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/ ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन हेतु समर्पित है। न्यास/ ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालित करने के लिये नियुक्त अध्यक्ष पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और **वैधानिक रूप से 11,000/– रू0 से अपना** मालिकाना का अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थाई सुरक्षा की दृष्टि से व ट्रस्ट की औपचारिकता दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिये अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी की नियुक्ति की गयी है।

3: न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा, इस दस्तावेज को गवाहों के समक्ष निम्नलिखित रूप से घोषित की जाती है तथा सब रजिस्ट्रार के समक्ष परिवर्तित/संशोधित कर पुनः प्रमाणित एवं रजिस्ट्रीकृत करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है :–

अ) रूपये 11,000/–(रू0 ग्यारह हजार मात्र) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलायेगी।

ब) ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम 11,000/–(रू0 ग्यारह हजार मात्र) और इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूंजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गई धनराशि इसके अतिरिक्त दान–दाताओं, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, निगमित सामाजिक दायित्व/कार्पोरेट सोशन रिस्पान्सिबिलिटी (सीएसआर), विदेशी अनुदान तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गई रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।

स) न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इन्कम टैक्स 1961 की सभी शर्तें लागू होंगी एवं सम्यक रूप से 12एए, 80जी, 35एसी, एफ.सी.आर.ए. आदि में पंजीकृत कराया जायेगा।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव संख्या 8/3-4 से [illegible]

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला, जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

4: उपरोक्त न्यास / ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी / प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी बनाये गये:—

क्र.सं.	नाम न्यासी / ट्रस्टी	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री राशिद अली वारसी	संस्थापक अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी	समाज सेवा	ग्राम–तिलोईया खुर्द, पोस्ट–सांक, तहसील–सण्डीला, जिला–हरदोई–241204 (उ0प्र0)
2.	श्री हिमांशु कुमार यादव	सचिव/ट्रस्टी	समाज सेवा	एफ–1 / 34, राजाजीपुरम् पाल तिराहा, आवास विकास कालोनी, लखनऊ–226017 (उ0प्र0)
3.	मो शाहनवाज़	कोषाध्यक्ष/ट्रस्टी	समाज सेवा	मंगल बाज़ार, अशराफ टोला, सण्डीला, थाना हरदोई–241204 (उ0प्र0)
4.	श्री गौरव गुप्ता	सदस्य/ट्रस्टी	समाज सेवा	ग्राम व पोस्ट रैसों, तह0 सण्डीला, जिला हरदोई – 241204
5.	श्री रफीउद्दीन वारसी	सदस्य/ट्रस्टी	समाज सेवा	ग्राम–तिलोईया खुर्द, पोस्ट–सांक, तहसील–सण्डीला, जिला– हरदोई–241204 (उ0प्र0)

5: न्यास / ट्रस्ट का नाम – नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट

6: न्यास / ट्रस्ट का स्थाई / पंजीकृत कार्यालय का पता – ग्राम–तिलोईयां खुर्द, पोस्ट–सांक, तहसील–सण्डीला, जिला– हरदोई–241204 (उ0प्र0)

7: न्यास / निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता:— **श्री राशिद अली वारसी, संस्थापक / अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी**

8: न्यास / ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत होगा

9: न्यासकर्ता / निर्माता / संस्थापक द्वारा उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद– श्री हिमांशु कुमार यादव, सचिव ट्रस्टी

10: न्यास / ट्रस्ट का स्वरूप – यह ट्रस्ट / न्यास एक चेरिटेबल संस्था है, जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर एवं एक गैर लाभकारी संगठन / न्यास के रूप में कार्य करेगी।

11: लाभग्राही– हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद भाव व सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वागीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुंचाने एवं उन्हें समाज, देश के विकास, राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति जागरूकता, जानकारी देने का प्रयास करेगा तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों, वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

12: फायदाग्राही व्यक्ति– न्यास / ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि न्यास / ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति एवं लोक कल्याण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दान–दाताओं, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, विदेशी अनुदान तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गई दान–अनुदान या सम्पत्ति के माध्यम से जन कल्याण एवं सामाजिक कार्य किया जायेगा।

13: ट्रस्ट के उद्देश्य:—

1. स्वयं सहायता समूह गठन करना, बैंक से लिकेंज करना, ऋण उपलब्ध कराना, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार, कुटीर उद्योग के लिए तैयार करना, उनके उत्पाद की मार्केटिंग, बिक्री कराना, आमदनी में बढ़ोत्तरी कराना, उन्हें हस्त निर्मित, हस्तकला उत्पादों को बड़े माल / बाजार / हाट प्रदर्शनी, मेलों में बिक्री हेतु पहुंचाना।
2. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायाम शाला, अस्पताल तथा प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड, आई0सी0एस0 बोर्ड, यू0पी0 बोर्ड, महाविद्यालय, अभियांत्रिकी कालेज, मेडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हॉस्पिटल, नृत्य, नाट्य, गीत एवं संगीत शिक्षण / प्रशिक्षण केन्द, सामाजिक शिक्षा केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा केन्द्र आवासीय विद्यालय, मदरसों, निराश्रित

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति / कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 के प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट पंजी0 कार्या0 ग्राम तिलोईयाँ खुर्द सण्डीला जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित / संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोईयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

सेवा केन्द्र (अनाथालय), वृद्धालय, मूक बधिर, अनाथालय, दिव्यांगजन विकास केन्द्र, छात्रावास, पशु अस्पताल, गो–सेवा सदन (गोशाला), सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कृषि विज्ञान शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

3. सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारतवर्ष के निरीह और जरूरतमन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रबन्धक समिति का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों का संचालन करेगी।
4. समय–समय पर गोष्ठी, सेमिनार, अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
5. देश के होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञों एवं उत्कृष्ट सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिये नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगा।
6. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रमों के संचालन के लिए जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा, दान अनुदान प्राप्त करेगा।
7. दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एस0सी0 / एस0टी0, ओ0बी0सी0, के उत्थान के लिए कार्य करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि कार्य एवं कृषकों के उत्थान के लिए तथा टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार–प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों का परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
9. प्राकृतिक आपदाओं जैसे–बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय समय पर मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा मंत्रालय, राज्य / केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद्, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
10. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं हस्तकला, शिल्पकला, सामग्रियों (कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई) इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ग्रामीण स्तर पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिकों को जागरूक करना व इस हेतु सर्वे एवं प्रचार–प्रसार करना।
11. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कार्य करना तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।
12. विभिन्न प्रकार के सूचनाएं जैसे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना।
13. परम्परागत नृत्य, नाट्य, संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मुशायरों, जलसों इत्यादि का आयोजन करना। नृत्य, नाट्य, संगीत आदि सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों, प्रदर्शिनियों, सेमिनारों आदि का आयोजन करना।
14. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना, जो इस ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्य करेगी तथा दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना।
15. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।
16. आर0सी0एच0 कार्यक्रम, सिफसा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच आदि की व्यवस्था करना।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी ... की बैठक दिनांक 12/09/22 ...
8/3-4

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट
पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला
जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित / संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला में दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

17. सामाजिक नीति व अधिकारिता के तहत वृद्धाश्रम, नशा उन्मूलन/तम्बाकू नियंत्रण केन्द्र व अन्य कार्यक्रम का संचालन करना।
18. स्वास्थ्य सम्बन्धी घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी0बी0, एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, आकस्मिक बीमारियों जैसे कोविड आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं गरीब असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना एवं गरीब असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलबध कराना।
19. उपभोक्ता कल्याण जागरूकता कार्यक्रमों एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार एवं इस हेतु सेमिनार, प्रशिक्षण, रैली आदि कार्यक्रमों का आयोजन/संचालन कराना।
20. महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र मंत्रालय कपार्ट, नाबार्ड, यूनीसेफ डवाकरा, सिफ्सा, राज्य एवं केन्द्रीय एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, राजीव गांधी फाउण्डेशन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, दिव्यांगजन कल्याण निदेशालय तथा भारत/राज्य सरकार से विभिन्न विभागों, निगमों द्वारा संचालित परियोजना, सेमिनार कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रचार–प्रसार कराना।
21. दैवीय आपदाओं, सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, भूकम्प आदि से प्रभावित लोगों की सहायता करने में सहयोग करना।
22. अल्पसंख्यक, असहाय, दिव्यांगजन, अनाथ लोगों व निर्धन छात्रों के लिए शासन–प्रशासन द्वारा जनहित व कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
23. संस्था द्वारा ग्राम उद्योगों की स्थापना करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नव जवानों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बन की भावना जागृत करना एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
24. ग्रामीण किसानों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग संबंधी तकनीकी जानकारी दिलवाना तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण दिलाकर उनमें, आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना एवं नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जागरूकता पहुंचाना, फिल्म, डाक्यूमेन्ट्री पर प्रशिक्षण देना।
25. एच.सी.एल. फाउण्डेशन, एस.बी.आई. फाउण्डेशन, रतन टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, ओ0एन0जी0सी0 कम्पनी, भेल, गेल आदि एजेन्सियों द्वारा संचालित सी.एस.आर. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, सेमिनार, परियोजना कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार एवं संचालन उनके द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कराना।
26. जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों, परियोजना कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं जन कल्याणकारी एवं विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सेमिनार जागरूकता, सर्वे, डाटा इन्ट्री, छोटे निर्माण कार्यों, सप्लाई तथा प्रचार–प्रसार कार्यों में सहयोग एवं संचालन करना।
27. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा, खेलकूद इत्यादि का समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
28. ग्रामीण/शहरी स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, स्वाथ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, सौचालय का निर्माण करना तथा कम लागत से आवास निर्माण संबंधी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुचाना।
29. ऊसर–बंजर भूमि सुधार आदि संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना।
30. महिलाओं/पुरूषों को सिलाई कढ़ाई, बुनाई कटाई, शिल्प कला, हस्तकला, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर आदि को शासन व प्रशासन की मदद से निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनमें आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
31. समाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण/मूल्यांकन तथा सर्वे/रि–सर्वे विकास स्टडीस आदी कार्य करना है।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिमि/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव संख्या 8/3-5 में निर्णय लिया गया

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला
जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित / संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

32. मुस्लिम समुदाय के बच्चों (पुरूष–महिलाओं) के उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश मीडियम, मदरसा, स्कूल, शिक्षण संस्थाओं के स्थापना व संचालन पर और उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।
33. समय–समय पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार में सहयोग करना, जैसे – इंकम टैक्स के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता, आधार पंजीकरण जागरूकता, राष्ट्रीय टीकाकरण जागरूकता, राष्ट्रीय एकता जागरूकता आदि।
34. भारत/राज्य सरकार द्वारा संचालित/आयोजित नये जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे – डिजिटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, हुनर हाट, सीखो और कमाओ आदि का प्रचार प्रसार करना।
35. ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित युवाओं/युवतियों हेतु तकनीकी/गैर तकनीकी कोचिंग सेन्टर, डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से उनको आधुनिक एवं डिजिटली प्रशिक्षित करना।
36. समस्त जन कल्याणकारी एवं सामाजिक विकास हेतु वे सभी सरकारी कार्यक्रम परियोजनाओं जो जन कल्याण के हितार्थ हों, भारत/राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित कराना।

14: ट्रस्ट/न्यास की सदस्यताः–

ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार होगी–

संस्थापक/अध्यक्ष– श्री राशिद अली वारसी, इस ट्रस्ट/न्यास के **संस्थापक/**अध्यक्ष या **मुख्य ट्रस्टी** हैं जिन्हें अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन सभी ट्रस्टी में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है, तो उनके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण कर सकता है।

सचिव ट्रस्टी– श्री हिमांशु कुमार यादव ट्रस्ट/न्यास के सचिव ट्रस्टी होंगे। ये संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिकृत व्यक्ति के तहत उनकी जिम्मेदारियाँ व कार्यभार सम्भालेगें और ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे।

कोषाध्यक्ष ट्रस्टी–जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास के आय–व्यय व लेखा पुस्तकों, चिट्ठा एवं आडीटर की रिपोर्ट पर विचार करेंगे एवं ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे।

सदस्य ट्रस्टी–जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को आजीवन सहयोग प्रदान करना होगा संस्था के कल्याणकारी गतिविधियों व संस्था के हित में काम करेगा। वह सदस्य ट्रस्टी के रूप में समय–समय पर संस्थापक/अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी को सहयोग प्रदान करना होगा तथा प्रबन्ध समिति के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य को रू0 1000/– प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क के रूप में देना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता धनराशि का सहयोग लिया जा सकता है।

15: ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्तिः–

पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या न्यायालय द्वारा सजा पाने पर या त्यागपत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी। यदि ट्रस्टी/न्यासी सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किए जा सकते हैं।

16: प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से संबंधित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों जैसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (MSME), खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, बैंकों आदि से ऋण, वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिभि/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

3. चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना, ऋण लेना, दान, अनुदान लेना तथा भारत सरकार व राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, फण्ड तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करना एवं प्राप्त किया गया सभी तरह से सहयोग व अनुदान राशि का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यक्रमों, सामाजिक उत्थान में प्रयोग करना। किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी समक्ष अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
5. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं, पृथक–पृथक बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिये पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द करना या परिवर्तन कराना।
6. न्यास/ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद–विवाद में पैरवी करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए ट्रिव्युनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
7. वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा स्वीकृत तथा आगामी बजट तैयार करना।
8. ट्रस्ट/न्यासी के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
10. प्रबन्धकारिणी समिति (ट्रस्ट बोर्ड) सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।

17: <u>ट्रस्ट/न्यास, संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी के कर्तव्य एवं अधिकारः–</u>

संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्ट/न्यास के मुख्य कार्यकारी होंगे। जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट/न्यास अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी अध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं। ट्रस्ट/न्यास के किसी भी ट्रस्ट सदस्यों द्वारा न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर, दिवालिया होने, मृत्यु होने, न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकते हैं। ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य सेक्रेटरी ट्रस्टी के सहयोग से सम्पादित होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। किसी ट्रस्टी न्यासी की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना एवं बहाली करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना एवं ट्रस्ट/न्यास के चल–अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित करना, बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना तथा समस्त प्रपंत्रों, प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना।

18: <u>सचिव ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

सचिव प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति/अध्यक्ष की मदद करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिकृत व्यक्ति के तहत उनकी जिम्मेदारियाँ व कार्यभार सम्भालेगें। ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करना ।

19: <u>कोषाध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

कोषाध्यक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट/न्यास के द्वारा अर्जित आय–व्यय का हिसाब किताब रखना, लेखा–पुस्तकों को ऑडिट करना एवं ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना, ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार देखना व निस्तारण करना तथा अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करना। वार्षिक बजट तैयार करके वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना व अध्यक्ष से स्वीकृत कराना। ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु अध्यक्ष के निर्देशानुसार धन संग्रह करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार का ऋण लेना अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकार, गैर सरकारी व विदेशी अनुदान का निष्पादन करना। अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौंपे जाय।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/9/22 को प्रस्ताव 8/3-4 में निर्णय लिया गया

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
पंजी० कार्या० ग्रा० तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला
जिला हरदोई, उ०प्र० 241204

<u>परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड</u>

कार्यालय, उप निबन्धक, तह० सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 **को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या** IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं० 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

20: **सदस्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः—**
ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की समिति उप समितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेगें और ये सौंपे गये दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगें।
बैठक गणपूर्ति : सभी बैठकों में दों तिहाई सदस्यों (4 सदस्य) की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जायेगा, और समस्त कार्यवाही प्रस्ताव पारित किये जायेंगे। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी का मत निर्णायक होगा।

21: **ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियमः—**

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति पाँच सदस्यीय होगी जिसमें अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी–1, सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1 एवं सदस्य–2 होंगे जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे। संस्थापक/अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी होंगे।
2. ट्रस्ट की कार्यवाही के प्रारम्भ में संस्थापक/अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में अन्य उपस्थित सदस्य ट्रस्टीयों के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित प्रति द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घन्टे में बुलाया जा सकता है।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 21 तक होगी। ट्रस्ट दो ट्रस्टी से भी संचालित होता रहेगा।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा मे यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।
6. ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन– ट्रस्ट/न्यास यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज की किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक/अध्यक्ष के साथ कम से कम एक और अधिकतम तीन सदस्यों के साथ मिल कर कर सकता है।
7. ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, निगमों, एजेन्सियों आदि में यदि कोई स्थायी परियोजना, योजना, कार्यक्रम, ट्रेनिंग सेन्टर, एकेडमिक सेन्टर, स्कूल, मदरसा आदि की स्थापना व संचालन हेतु आवेदन किया जाता है और उन विभागों में यदि यह आवश्यक हो कि उस विभाग का भी कोई व्यक्ति पदेन सदस्य/संयोजक के रूप में उस योजना में शामिल किया जाये तो उसका पालन किया जायेगा, ट्रस्ट को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

22: **ट्रस्ट/न्यास का कोषः—**
ट्रस्ट/न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्थ किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके संस्थापक/अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी ओर कोषाध्यक्ष ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खुलना एवं संचालित कर सकता है तथा कोई भी धन संस्थापक/अध्यक्ष के साथ सचिव ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष ट्रस्टी में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित करने का अधिकार संस्थापक/अध्यक्ष को है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी के एकल हस्ताक्षर से भी संचालित हो सकेगा।

23: **विवादित स्थिति पर निर्णयः—**
ट्रस्ट/न्यास में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक, ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अध्यक्ष की अनुमति से प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट/न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
पंजी० कार्या०
ग्रा० तिलोइयाँ खुर्द
सण्डीला
जिला हरदोई, उ०प्र० 241204

परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड
कार्यालय, उप निबन्धक, तह० सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं० 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी समिति के अन्य ट्रस्टियों का अन्तिम निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रस्टी किसी भी न्यायालय में ट्रस्ट/न्यास के व उसकी किसी ट्रस्टियों के नाम मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

24: **ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड एवं अभिलेखः—**

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, बाउचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद बही पासबुक, चेक बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

25: **अनुशासनात्मक कार्यवाहीः—**

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट के पदाधिकारियों के समर्थन से अध्यक्ष करेगा।

26: **वाद विवाद/प्रतिवादः—**

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र **जनपद हरदोई** रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यासी दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद—विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे। व्यक्तिगत नाम से नहीं। और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद—प्रतिवाद के पैरवी के लिए किसी व्यक्तियों/पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

27: **परियोजनाओं की संचालन में ट्रस्ट/न्यास की व्यापकताः—**

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिये कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है, जो कि भारतवर्ष के किसी प्रान्त, राज्य, जिले, तहसील व ग्रामों में चलाई जायेगी।

28: **पदों का सृजनः—**

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिये आवश्यकत पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उसे उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

29: **ट्रस्ट/न्यास का विस्तारः—**

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कैम्प कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, परियोजना कार्यालय स्थापित कर सकेगा, परन्तु पंजी० कार्या० का पता कभी भी हरदोई जनपद के अतिरिक्त परिवर्तित नहीं किया जायेगा तथा ट्रस्ट का नाम भी कभी परिवर्तित नहीं होगा।

30: **लेखा—जोखा (आडिट):—**

आर्थिक वर्ष के उपरान्त न्यास/ट्रस्ट अपने लेखा—जोखा को चुस्त दुरूस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों, संस्थापक/अध्यक्ष की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा तथा चार्टेड एकाउण्टेन्ट (सी०ए०) की मदद ले सकता है तथा ट्रस्ट की बैलेन्स शीट, आय एवं व्यय, प्राप्ति एवं देय का वार्षिक ऑडिट मान्यताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

31: वर्तमान में इस ट्रस्ट में उक्त धनराशि 11,000/— के अतिरिक्त अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति सन्निहित नहीं है।

32: न्यास की सम्पत्ति का प्रयोद/दुप्रयोग कोई भी न्यासी निजी तौर अपने सगे सम्बन्धियों के लिये नहीं कर सकेगा, न्यास पर किसी भी न्यासी/ट्रस्टी संरक्षक मण्डल के सदस्यों, संस्थापक सदस्यों या सभी प्रकार के सदस्यों व्यक्तिगत कर्ज एवं व्यक्तिग ऋणों की अदायगी की जिम्मेदारी नहीं होगी।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 21.09.22 के प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट पंजी० कार्या० ग्रा० तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला जिला हरदोई, उ०प्र० 241204

परिवर्तित/संशोधित—ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह० सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं० 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

हम एतद्द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस न्यास विलेख का, संशोधन सहित निष्पादन करते है।

गवाहान:–

रामनरेश द्विवेदी

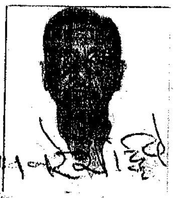

1. राम नरेश द्विवेदी पुत्र श्री जगन्नाथ
नि0–वार्ड नं0 9, हरदोई रोड, बस स्टैण्ड,
सण्डीला, जिला–हरदोई उ0प्र0।
मो0नं0–9415566402

2. सलीम पुत्र नन्हके
नि0–बरौनी, अशराफ टोला,
तहसील–सण्डीला, जिला–हरदोई उ0प्र0।
मो0नं0–9044442744

श्री राशिद अली वारसी
संस्थापक/अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
मो0नं0–9695273222

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

स्थान : सण्डीला
दिनांक: 21/09/2022

टाईपकर्ता

(गुरदीप सिंह)

मसविदाकर्ता

Anil Kumar Dwivedi
एडवोकेट
Advocate
तहसील/कचहरी सण्डीला
Tehsil Sandila Distt.
हरदोई

12/09/22
8/3-4

पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट
जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

<u>परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड</u>

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

रफीउद्दीन

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

(12)

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
NITI AAYOG Darpan UID : UP/2018/0216102 PAN No. : AADTN0477B

Regn. No. : IV-29/18, Dt. 03.11.2018
Regd. under Trust Act 1882
12A & 80G Regd. under Income Tax Act 1961
Email : ndfthardoi1882@gmail.com

ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

क्र0 सं0	नाम सदस्य/न्यासी/ ट्रस्टी एवं पता तथा ई-मेल	पद	व्यवसाय	आधार एवं पैन नं0	जन्मतिथि	मोबाइल नं0
1	राशिद अली वारसी पुत्र श्री वाहिद अली ग्राम-तिलोइयां खुर्द, पोस्ट-सांक, तह0-सण्डीला, जिला-हरदोई (उ0प्र0) 241204 Email : rashid.ali.warsi@gmail. com	संस्थापक / अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी	समाज सेवा	640915957601 ABPPW7668E	05.05.1980	9695273222
2	हिमांशु कुमार यादव पुत्र श्री राम नरेश यादव एफ-1/34, राजाजीपुरम, पाल तिराहा, आवास विकास कालोनी, लखनऊ-226017 (उ0प्र0) Email : himanshuy322@gmail.com	सचिव	समाज सेवा	940467429949 ACDPY6956A	10.05.1988	9473720000
3	मो0 शहनवाज पुत्र श्री अंसार अहमद मंगल बाजार, अशरफ टोला, सण्डीला थाना हरदोई-241204 (उ0प्र0) Email : shahnawaz12345ansari@gmail.com	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा	653080024076 GJMPS7096P	03.07.1996	9129632629
4	गौरव गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर, ग्राम व पोस्ट रैसों, तह0 सण्डीला, जिला-हरदोई-241204 (उ0प्र0) Email : kumar.gaurav032@gmail.com	सदस्य	समाज सेवा	634439058990 AKVPG0283E	05.11.1978	8922020600
5	रफीउद्दीन वारसी पुत्र श्री राशिद अली वारसी ग्रा0-तिलोइयां खुर्द, पो0-सांक, तह0- सण्डीला, जिला-हरदोई (उ0प्र0) 241204 Email : rafiuddin3310@gmail.com	सदस्य	समाज सेवा	907473820774 AHKPW4349R	10.04.1999	9198906412

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव सं0 8/3-4 में निर्णय लिया गया।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 12/09/2022

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयां खुर्द सण्डीला जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

Mohd. Shahnawaz

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय : उप निबंधक, सण्डीला, जनपद हरदोई।

दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रीकृत करायी गयी ट्रस्ट डीड जो बही सं0–4 जिल्द सं0 26 के पृष्ठ 253 से 296 के क्रमांक 29 पर, उप निबंधक महोदय सण्डीला के यहाँ पंजीकृत है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन सं0 IV-29/18 दिनांक 03.11.2018 है, जिसको परिवर्तित/संशोधन कर प्रस्तुतिकरण।

डीड–विवरण

1.	प्रस्तुत दिनांक	03.11.2018, को दिनांक 21/09/2022 को संशोधित कर प्रस्तुत
2.	निष्पादन दिनांक	03.11.2018, को दिनांक 21/09/2022 को संशोधित/निष्पादन
3.	प्रलेख का प्रकार	न्यास विलेख/ट्रस्ट डीड (परिवर्तित/संशोधित)
4.	न्यास/ट्रस्ट का नाम	**नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट**
5.	न्यास निधि	रूपया 11,000/–
6.	न्यास/ट्रस्ट का स्थायी/पंजी0 कार्यालय का पता, उद्देश्य	दिनांक 03.11.2018 को रजिस्ट्रीकृत डीड के अनुसार
7.	प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता	राशिद अली वारसी पुत्र स्व0 वाहिद अली निवासी ग्राम तिलोइयां खुर्द, पोस्ट सांक, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई–241204 उत्तर प्रदेश। आधार सं0 – 6409 1595 7601 मोबाइल नं0 : 9695273222
8.	संस्थापक का नाम	राशिद अली वारसी पुत्र स्व0 वाहिद अली निवासी ग्राम तिलोइयां खुर्द, पोस्ट सांक, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई–241204 उत्तर प्रदेश। आधार सं0 – 6409 1595 7601 मोबाइल नं0 : 9695273222
9.	5 सदस्यीय न्यास समिति का विवरण	1– राशिद अली वारसी (संस्थापक/अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी) 2– हिमांशु कुमार यादव (सचिव/ट्रस्टी) 3– मो0 शहनवाज (कोषाध्यक्ष/ट्रस्टी) 4– गौरव गुप्ता (सदस्य/ट्रस्टी) 5– रफीउद्दीन (सदस्य/ट्रस्टी)
10.	साक्षी/गवाहान	1– गवाह–1 : श्री राम नरेश द्विवेदी 2– गवाह–2 : श्री सलीम
11.	स्टाम्प अदा किया	रूपया 1190/–........

उपरोक्त विवरण एवं दिनांक 03.11.2018 को रजिस्ट्रीकृत डीड में त्रुटि/टाइपिंग तथा गणपूर्ति 2/3 बहुमत के नियम की पूर्ति करते हुए पुनः टाइप कराकर एवं आवश्यक कार्य पूर्ण करते हुए श्रीमान् उप निबन्धक महोदय सण्डीला के यहां प्रमाणित/सत्यापित करने हेतु प्रस्तुत कर दिनांक 21/09/2022 को प्रमाणित/सत्यापित कराया गया स्पष्ट किया जाता है कि ट्रस्ट का नाम, पता, उद्देश्य व ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी समिति की संख्या व सदस्य/पदाधिकारियों के नाम, पता, पद व रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक 03.11.2018, के अनुसार ही माना जाये, और उस डीड का भाग समझा जाये एवं यही संशोधित डीड ही मान्य होगी।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 के प्रस्ताव संख्या 8/3-4 के निर्णय [illegible]

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
पंजी0 कार्या0 ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला
जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को **नेशनल डेवलपमेन्ट** फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का **रजिस्ट्रेशन** संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित–संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

Mohd. Shahnawaz

रफीउद्दीन

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

(15)

आवेदन सं0: 201800813013256
आवेदन दिनांक: 01.11.2018
डीड रजिस्ट्रीकृत दिनांक: 03.11.2018
निष्पादन दिनांक: 03.11.2018

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यालय उप–निबन्धक
तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई

दिनांक 03.11.2018 को रजिस्ट्रीकृत न्यास पत्र/ट्रस्ट डीड का विवरण

न्यास/ट्रस्ट का नाम	:	**नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट (एनडीएफटी)**
न्यास/ट्रस्ट का स्वरूप	:	चैरिटेबल ट्रस्ट नियम-2 एक्ट 1882
न्यास/ट्रस्ट का स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता	:	ग्राम–तिलोइयां खुर्द, पोस्ट–सांक, तह0–सण्डीला, जिला–हरदोई-241204 उ0प्र0
न्यास/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सं0 एवं दि0	:	संख्या–IV-29/18 दिनांक 03.11.2018
न्यास/ट्रस्ट के रजिस्टर्ड अभिलेख का विवरण	:	बही सं0 4, जिल्द सं0 26 पृष्ठ 253 से 296 तक क्रमांक/रजिस्ट्रेशन सं0 29 दिनांक 03.11.2018
न्यास/ट्रस्ट का उद्देश्य	:	रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड के अनुसार
न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत
न्यास/ट्रस्ट का पैन नं0	:	AADTN0477B दिनांक 17.11.2018
नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल यूआईडी नं0 एवं दिनांक	:	UP/2018/0216102 दिनांक 02.12.2018
न्यास प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सं0 तथा पदनाम	:	05 (पांच), संस्थापक/अध्यक्ष–1, सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1, सदस्य–2

नाम, पता, उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन सं0 IV-29/18 एवं दिनांक 03.11.2018 को रजिस्टर्ड डीड के अनुसार संशोधित डीड मानी जाये।

स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक : 03.11.2018 **को रजिस्ट्रीकृत करायी गयी ट्रस्ट डीड में परिवर्तन/संशोधन कर दिनांक** 21 /09 /2022 **को कार्यालय–उप निबन्धक, सण्डीला के समक्ष प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत की गई, भविष्य में यही संशोधित डीड ही मान्य होगी।**

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्धक समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 के प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया।

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट
पंजी0 कार्या0
ग्रा0 तिलोइयाँ खुर्द
सण्डीला
जिला हरदोई, उ0प्र0 241204

परिवर्तित/संशोधित–ट्रस्ट डीड
कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 को नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित संशोधित सं0 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि0 हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 26 के पृष्ठ 253 से 296 तक क्रमांक 29 पर दिनाँक 03/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुनीश चन्द्र त्रिपाठी (प्रभारी)
उप निबंधक : सण्डीला
हरदोई
03/11/2018

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट पंजी० कार्या० ग्रा० तिलोइयाँ खुर्द सण्डीला जिला हरदोई, उ०प्र० 241204

परिवर्तित / संशोधित–ट्रस्ट डीड

कार्यालय, उप निबन्धक, तह0 सण्डीला मे दिनांक 03.11.2018 **को नेशनल डेवलपमेन्ट** फाउन्डेशन ट्रस्ट, के नाम के रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट **डीड का** रजिस्ट्रेशन संख्या IV-29/18 दिनांक 21/09/22 को परिवर्तित **संशोधित सं0** 55 है

अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/09/22 को प्रस्ताव संख्या 8/3-4 में निर्णय लिया गया

उत्तर प्रदेश

Mohd. Shahnawaz रफीउद्दीन

11/3/2018 2:11 PM

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh

201800813013256

③

सम्पत्ति का विवरण	अन्य सम्पत्ति का विवरण	पक्षकार का विवरण

IV 29/18

आवेदन विवरण की प्रति

उपनिबंधक कार्यालय : सण्डीला, हरदोई

आवेदन संख्या: 201800813013256 आवेदन दिनांक: 01-11-2018

बही संख्या: 4 लेखपत्र का प्रकार: न्यास पत्र

प्रस्तुतकर्ता का विवरण

नाम (हिन्दी में)	:	ने0डे0फा0ट्र0 राशिद अली वारसी	नाम (अंग्रेजी में)	:	NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION T RASHID ALI WARSI
ई - मेल	:		मोबाइल	:	9559565305

सम्पत्ति क्रम संख्या--1

सम्पत्ति की स्थिति का विवरण

जनपद	:	हरदोई	तहसील	:	सण्डीला

सम्पत्ति का विवरण : नेशनल डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन ट्रस्ट (एन0डी0एफ0टी0) ग्राम तिलोइयां खुर्द पो0 सांक तह0 सण्डीला जिला हरदोई उ0प्र0 241204

अन्य निर्देश का विवरण

सत्य प्रतिलिपि
उपनिबन्धक
सण्डीला - हरदोई

क्रम संख्या	अन्य निर्देश का विवरण

सम्पत्ति मूल्यांकन विवरण

प्रतिफल : 11000

निर्माण कर्ता

उप निबन्धक

PRESIDENT
National Development Foundation Trust
Reg. Off. Vill. Tiloiyan Khurd, Post Saank, Tah. Sandila
District Hardoi U.P. (India)

अध्यक्ष/President
नेशनल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन ट्रस्ट
National Development Foundation Trust
ग्राम तिलोइयाँ खुर्द तह. सण्डीला जि० हरदोई
Vill. Tiloiyan Khurd Tah. Sandila Distt. Hardoi
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh